माननीय न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के समक्ष

महेंदर सिंह - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता

2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 16882

15 जनवरी 2015

सेवा कानून - भारत का संविधान, 1950 - चयन और नियुक्ति - झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा में प्रवेश - अयोग्य उम्मीदवारों के पास अपेक्षित अनुभव योग्यता का अभाव है पर नियुक्ति प्रस्तावित - निजी उत्तरदाताओं द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत किया गया फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र - अनुभव प्रमाण पत्र चयनित अभ्यर्थी-प्रतिवादी को एक ही समय में दो स्थानों पर काम करते हुए दर्शाता है - प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया का दुरुपयोग - चयनित अभ्यर्थियों का आचरण उन्हें नियुक्ति से वंचित करता है - शक्तियों के गलियारों तक पहुंच थी - मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों-निजी के स्थानांतरण और पोस्टिंग की जगह की सिफारिश की उत्तरदाता - झूठे दावों के आधार पर और धोखे से प्राप्त की गई नियुक्ति रद्द की जानी चाहिए और न्यायसंगत विचार से नहीं बचाई जानी चाहिए - ऐसे अवैध पर सेवा की अवधि नियुक्ति अप्रासंगिक - पदों जैसे मामलों में कोई समानता नहीं - गलत बयानी, धोखे और धोखाधड़ी से हड़प लिया - चयन और निजी उत्तरदाताओं की नियुक्ति रद्द कर दी गई।

माना गया कि मौजूदा मामले में, रिकॉर्ड से यह साबित होता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुभव से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र, जो आवश्यक योग्यताओं में से एक था, सत्यापन में फर्जी पाया गया, लेकिन फिर भी उत्तरदाताओं क्रमांक 4 से 6 को नियुक्ति दे दी गई। इसके परिणामस्वरूप अन्य योग्य उम्मीदवार अधिक मेधावी होते हुए भी रोजगार पाने के अवसर से वंचित हो गए। भले ही प्रतिवादी संख्या 4 से 6 अब चार साल से सेवा कर रहे हों, ऐसे मामलों में समानता काम नहीं आती क्योंकि उनकी नियुक्ति की नींव ही गायब हो गई क्योंकि पद को गलत बयानी और धोखे से हड़प लिया गया था। यह धोखाधड़ी थी.

(पैरा 33)

आगे यह माना गया कि उत्तरदाताओं का चयन और नियुक्ति क्रमांक 4 से 6 को अलग रखा गया है, क्योंकि उन्होंने फर्जी तरीके से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र उत्पादन कर रोजगार प्राप्त किया था. और उन्हें इस पद के लिए अयोग्य ठहराया गया जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 2 पर था, यदि यह सही पाया जाता है, तो उसे प्रतिवादी संख्या 4 की पेशकश और सेवा में शामिल होने की तारीख से नियुक्ति की पेशकश की जाएगी। याचिकाकर्ता को उस तिथि से काल्पनिक

लाभ दिया जाएगा, लेकिन जिस अवधि में उसने काम नहीं किया, उस अवधि के लिए वह किसी भी मौद्रिक लाभ का हकदार नहीं होगा।

(पैरा 34)

सुनील के भारद्वाज - याचिकाकर्ता के वकील
जसमीत सिंह बेदी - अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा
आर.के. मलिक - वरिष्ठ अधिवक्ता, तेज पाल ढुल -अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4
प्रतिवादी संख्या 5 के लिए कोई नहीं।
वजीर सिंह - हरीश भारद्वाज प्रतिवादी संख्या 6 के वकील

निर्णय

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल,

1. याचिकाकर्ता, जो परिवार कल्याण विस्तार शिक्षक के पद के लिए उम्मीदवारों में से एक था, ने उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 के चयन और नियुक्ति को पात्र नहीं होने के कारण चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए आगे प्रार्थना की गई है, जो प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 2 पर था।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (संक्षेप में, 'आयोग') ने विज्ञापन संख्या 9/2007 दिनांक 22.7.2007 के माध्यम से परिवार कल्याण विस्तार शिक्षक के 63 पदों का विज्ञापन किया। आवश्यक शैक्षिक योग्यताएँ MANOJ KUMAR 2015.01.28 17:44 से स्नातक थीं, मैं इस दस्तावेज़ की सटीकता और प्रामाणिकता की पुष्टि करता हूँ, 2009 का CWP नंबर 16882 [2] मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में सामुदायिक शिक्षा से संबंधित दो वर्ष का अनुभव और मैट्रिक मानक तक हिंदी/संस्कृत का ज्ञान। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21.8.2007 निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ता ने समय रहते इस पद के लिए आवेदन कर दिया। साक्षात्कार में उनका प्रदर्शन भी अच्छा था, लेकिन फिर भी उनका नाम चयन सूची में नहीं बल्कि प्रतीक्षा सूची में पाकर याचिकाकर्ता आश्चर्यचकित रह गये। प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 1 पर उम्मीदवार पहले से ही बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, इसलिए, इस पद पर शामिल होने का इच्छुक नहीं था। चूंकि कुछ अन्य उम्मीदवार भी थे, जो शायद शामिल नहीं हुए थे, याचिकाकर्ता ने शुरू में नियुक्ति का इंतजार किया, हालांकि, उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। इसके

बाद, उन्हें पता चला कि कुछ उम्मीदवार, जो अनुभव के रूप में अपेक्षित योग्यता की कमी के कारण पात्र नहीं थे, उन्हें नियुक्ति की पेशकश की गई थी। उन्होंने सिविल सर्जन, रोहतक से महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा हरियाणा, पंचकुला को दिनांक 9.6.2008 के एक संचार का हवाला दिया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 4-अजीत सिंह पुत्र उम्मेद सिंह द्वारा हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति से प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र, रोहतक (इसके बाद 'समिति' के रूप में संदर्भित) एक फर्जी दस्तावेज था, क्योंकि न तो उपरोक्त समिति के सचिव ने उस पर हस्ताक्षर किए थे और न ही अजीत सिंह ने कभी वहां काम किया था। इस तथ्य के बावजूद उन्हें 31 जुलाई 2008 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। इसके बाद, अजीत सिंह ने मानसरोवर अस्पताल, रोहतक से दिनांक 10.7.2007 का अनुभव का एक और प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जहां उन्होंने 2,200/- प्रति माह के वेतन पर ओटी सहायक और वार्ड स्टाफ और ओपीडी हेल्पर के रूप में काम किया। सत्यापन में प्रमाणपत्र वैध पाया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार आवेदन के साथ अजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र जाली पाया गया, तो अयोग्य होने के कारण प्रतिवादी नंबर 4 की नियुक्ति रद्द की जानी चाहिए।

3. प्रतिवादी क्रमांक 5 और 6 के संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सिविल सर्जन, सोनीपत से महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा हरियाणा, पंचकुला को दिनांक 19.6.2008 के संचार का हवाला देते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र भी गलत थे। फर्जी पाया गया। उपरोक्त दोनों उत्तरदाताओं के पास भी आवश्यक योग्यता की कमी थी, इसलिए, यहां तक कि उनकी नियुक्तियां भी रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता, प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 2 पर होने के कारण, उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 की नियुक्ति को रद्द करने के बाद नियुक्ति की पेशकश का हकदार है।

4. राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उम्मीदवारों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद नियुक्तियाँ प्रदान की गईं। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसके द्वारा केवल एक अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था, जो फर्जी पाया गया। दूसरा अनुभव प्रमाणपत्र, जिसके बारे में दावा किया गया है कि उसे सत्यापित किया गया है और वह वास्तविक पाया गया है, आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया था। राज्य के विद्वान वकील ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि सत्यापन पर, आवेदन के साथ प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र नकली पाया गया, हालांकि, दूसरा अनुभव प्रमाण पत्र वास्तविक पाया गया। उत्तरदाताओं संख्या 5 और 6 द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्रों की वास्तविकता के सत्यापन के संबंध में, राज्य के विद्वान वकील सिविल सर्जन, सोनीपत द्वारा दिनांक 19.6.2008 को प्रस्तुत रिपोर्ट पर विवाद नहीं कर सके।

5. प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 4 ने आवेदन के साथ दो प्रमाण पत्र संलग्न किए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है, उनमें से एक नकली पाया गया था लेकिन फिर भी

तथ्य यह है कि प्रतिवादी नंबर 4 समिति के साथ सेवा कर रहा था, हालांकि, उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि समिति द्वारा कोई रिकॉर्ड बनाए रखा जा रहा था या नहीं। सत्यापन में दूसरा अनुभव प्रमाण पत्र असली पाया गया। यह दिनांक 10.7.2007 है, अर्थात, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी नंबर 4 की नियुक्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन थी और वास्तव में, प्रमाण पत्र के विधिवत सत्यापन के बाद वह 30.12.2008 को शामिल हुए। वह दिसंबर, 2008 से बिना किसी शिकायत के अधिकारियों की पूरी संतुष्टि के साथ काम कर रहे थे, इसलिए, इस स्तर पर, उनकी नियुक्ति को रद्द करना बहुत कठोर होगा।

6. सेवा के बावजूद प्रतिवादी क्रमांक 5 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। कोई जवाब भी दाखिल नहीं किया गया.

7. प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 6 के शामिल होने के समय, प्रमाणपत्रों को चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी, पिहोवा, जिला कुरूक्षेत्र द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया था और उन्हें सभी मनोज कुमार 2015.01.28 17:44 मिले। मैं इस दस्तावेज़ सीडब्ल्यूपी नंबर 16882 ऑफ़ 2009 [4] प्रमाणपत्रों की सटीकता और प्रामाणिकता को वास्तविक मानता हूँ। इस आशय का एक शपथ पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। दावा किया गया है कि यह महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा हरियाणा, पंचकुला द्वारा सभी सिविल सर्जनों को दिनांक 31.8.2009 को भेजे गए एक पत्र के संदर्भ में था। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी नंबर 6 द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र वास्तविक था। केवल इसलिए कि क्लब उचित रिकॉर्ड नहीं रख रहा था, प्रतिवादी संख्या 6 को पीड़ित नहीं किया जा सकता। वह पिछले छह वर्षों से अधिक समय से अधिकारियों की संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं।
8. पार्टियों के विद्वान वकील को सुना और पेपर बुक और प्रस्तुत आधिकारिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

तथ्यात्मक पहलू

9. यह मामला उन व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है, जिनकी सत्ता के गलियारों तक पहुंच थी।

10. विज्ञापन संख्या 9/2007 के माध्यम से परिवार कल्याण विस्तार शिक्षक के 63 पद 22.7.2007 को विज्ञापित किए गए थे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21.8.2007 थी। विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यताएँ इस प्रकार थीं:

"ई.क्यू. i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में सामुदायिक शिक्षा से संबंधित दो वर्ष का अनुभव।
iii) मैट्रिक मानक तक हिंदी/संस्कृत का ज्ञान।"
11. याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 के चयन और नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उनके पास अपेक्षित अनुभव नहीं था, क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन में नकली पाए गए थे।

12. जहां तक प्रतिवादी संख्या 4 का सवाल है, राज्य द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से, उसके द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन का अवलोकन किया गया। संवीक्षा अधिकारी द्वारा लाल स्याही से लिखा गया नोट है "संस्थान का अनुभव पंजीकृत/मान्यता प्राप्त नहीं है"। कॉलम संख्या 12 में, प्रतिवादी संख्या 4 ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:
"12. अनुभव वर्ष [3] महीने [4] दिन [ ] संगठन का नाम - हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति मनोज कुमार 2015.01.28 17:44 मैं इस दस्तावेज़ की सटीकता और प्रामाणिकता की पुष्टि करता हूं सीडब्ल्यूपी संख्या 16882 2009 [5] कुल वेतन रु.------"

13. हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति, रोहतक के दिनांक 15.7.2006 के आवेदन के साथ संलग्न एक हस्तलिखित प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने पिछले 3 वर्षों से समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में स्वेच्छा से भाग लिया था। वह शिक्षा, साक्षरता और सामाजिक प्रासंगिकता के विभिन्न मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध थे। वह इन मुद्दों पर समाज को शिक्षित करते रहे हैं। इसमें संदर्भ संख्या एचजीवीएस/आरटीके/एसपीएल-1 शामिल है, जिस पर कथित तौर पर समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

14. उसी समिति का एक और प्रमाणपत्र, उसी नंबर और उसी तारीख का लेकिन टाइप किया हुआ भी फाइल पर है, जिसमें प्रतिवादी नंबर 4 की कार्य अवधि 5.6.2003 से 15.7.2006 तक मासिक वेतन `2,400/- बताई गई है। . दोनों प्रमाणपत्रों में विरोधाभास था क्योंकि हस्तलिखित प्रमाणपत्र में विशिष्ट अवधि और वेतन का उल्लेख नहीं किया गया था। उपरोक्त अनुभव प्रमाण पत्र सिविल सर्जन, रोहतक द्वारा सत्यापन पर नकली पाया गया, जैसा कि दिनांक 9.6.2008 (अनुलग्नक पी -5) के संचार से स्पष्ट है। उसका प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

"3. क्रम संख्या 11 में उल्लेखित है- श्री उम्मेद सिंह के पुत्र श्री अजीत सिंह के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में, सचिव, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति, रोहतक ने अपने लेटर पैड पर लिखित रूप में दिया है कि अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है आवेदक फर्जी है और इस प्रमाणपत्र पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है और न ही आवेदक कभी भी उनके संस्थान का कार्यकर्ता रहा है।"

15. समिति के पत्र दिनांक 23.5.2008 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि समिति ने दिनांक 15.7.2006 का प्रमाण पत्र कभी जारी नहीं किया, वह फर्जी था। सचिव ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये थे. उम्मेद सिंह के पुत्र अजीत सिंह ने कभी भी समिति के साथ काम नहीं किया। समिति एक स्व-वित्तपोषित सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है, जहाँ कर्मचारी गैर-भुगतान के आधार पर काम करते हैं। समिति से पूर्वोक्त संचार का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

मनोज कुमार
2015.01.28 17:44
मैं सटीकता की पुष्टि करता हूं और
इस दस्तावेज़ की प्रामाणिकता
2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 16882 [6]

"आपने अजीत सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह ग्राम भाली आनंदपुर के प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी मांगी है। कहा गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा 15 जुलाई, 2006 को जारी किया गया है। हमने यह प्रमाण पत्र देखा है। यह फर्जी है। हमारे पास है यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। और सचिव ने भी इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसलिए, ये प्रमाण पत्र हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति, रोहतक से जारी नहीं किए गए हैं। और न ही अजीत सिंह पुत्र श्री उमेद सिंह हमारे कार्यकर्ता हैं। हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति है एक स्व-वित्तपोषित सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था। जहाँ सभी कर्मचारी गैर-भुगतान के आधार पर काम करते हैं।"

16. डॉ. नरवीर सिंह, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ हरियाणा, पंचकुला ने अपने उत्तर दिनांक 27.1.2010 में कहा कि प्रतिवादी संख्या 4 को 31.7.2008 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। हालाँकि, नियुक्ति पत्र, जैसा कि राज्य द्वारा प्रस्तुत मूल रिकॉर्ड से स्पष्ट है, दिनांक 22.12.2008 है। प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा संलग्नक आर-4/1 के रूप में उनके उत्तर के साथ प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर उचित ठहराने की मांग की गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 मैन्सरोवर अस्पताल में काम कर रही थी। 5.6.2005 से प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि तक, यानी 10.7.2007 तक, रोहतक जहां वह ₹ 2,200/- के मासिक वेतन पर ओटी सहायक और वार्ड स्टाफ और ओपीडी हेल्पर के रूप में काम कर रहे थे, जो इस प्रकार है:

"यह किससे संबंधित हो सकता है यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजीत सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह, निवासी भाली आनंदपुर, जिला रोहतक 05.06.05 से आज तक मेरे अस्पताल में सेवारत हैं। वह ओटी सहायक के रूप में काम कर रहे हैं और वार्ड स्टाफ और ओपीडी सहायक। उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 2200/- रुपये मिलते हैं। वह सोसाइटी और सभी रोगियों और उनके परिचारकों को जल्द से जल्द बीमारियों से बचाव के लिए शिक्षित करने के लिए शिक्षक के रूप में भी काम कर रहे हैं। ताकि बीमारी

से बचा जा सके। प्रारंभिक चरण में रोकथाम और उपचार किया जाना चाहिए। वह अस्पताल द्वारा नि:शुल्क शिविर जैसे आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें सभी रोगियों, कर्मचारियों और मनोज कुमार द्वारा पसंद किया जाता है 2015.01.28 17:44 मैं इसकी सटीकता और प्रामाणिकता की पुष्टि करता हूं 2009 का दस्तावेज़ सीडब्ल्यूपी नंबर 16882 [7] समाज का अन्य सदस्य। मैं उनके भावी जीवन में उनकी सफलता की कामना करता हूं।"

17. उपरोक्त प्रमाणपत्र का न तो उल्लेख किया गया है और न ही यह आवेदन वाली फ़ाइल का हिस्सा है और आवेदन दाखिल करने के समय प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ भी शामिल है। उपरोक्त प्रमाणपत्र को अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया और असली पाया गया।

18. दो मुद्दे, जिन्हें न तो राज्य के विद्वान वकील या प्रतिवादी संख्या 4 के वकील द्वारा समझाया जा सका, वे थे कि प्रतिवादी संख्या 4 एक साथ दो स्थानों पर कैसे काम कर सकता है। समिति से प्राप्त प्रमाणपत्र दिनांक 15.7.2006 से पता चलता है कि वह पिछले 3 वर्षों से वहां काम कर रहा था। उसी तारीख के एक अन्य प्रमाण पत्र से पता चलता है कि वह 5.6.2003 से 15.7.2006 तक `2,400/ के मासिक वेतन पर वहां काम कर रहा था, जबकि मानसरोवर अस्पताल, रोहतक से दिनांक 10.7.2007 के अनुभव प्रमाण पत्र से पता चला कि प्रतिवादी संख्या 4 ने वहां 5/6/2005 से 10.7.2007 तक 2,200/- मासिक वेतन पर काम किया। जिस अवधि के दौरान प्रतिवादी नंबर 4 ने खुद को दो अलग-अलग नियोक्ताओं के साथ काम करने का दावा किया, वह अतिव्यापी है। इसके अलावा, मानसरोवर अस्पताल, रोहतक से प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर कैसे आया और प्रतिवादी नंबर 4 को नियुक्ति की पेशकश के लिए सत्यापित करने की मांग कैसे की गई, यह एक रहस्य है। एक बार जब प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन में नकली पाया गया, तो उससे कोई और प्रमाण पत्र प्राप्त करने, उसकी वास्तविकता को सत्यापित करने और फिर उसे नियुक्ति देने का कोई सवाल ही नहीं था। प्रतिवादी संख्या 4 के आचरण ने उसे नियुक्ति पर विचार करने का भी अधिकार नहीं दिया, नियुक्ति की तो बात ही क्या करें। हालाँकि, राज्य द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड को देखने पर मामला सुलझ गया। यह कहावत "आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन हालात झूठ नहीं बोलते" पूरी तरह से लागू होती है। प्रतिवादी संख्या 4 ने दावा किया कि नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद, वह 30.12.2008 को सेवा में शामिल हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री के कार्यालय से रिकॉर्ड पर उपलब्ध नोट ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि प्रतिवादी नंबर 4 की सत्ता के गलियारों तक पहुंच थी, जिसका स्पष्ट रूप से नियुक्ति पाने और सभी नियमों को तोड़ने के लिए दुरुपयोग किया गया था।

मनोज कुमार
2015.01.28 17:44
मैं सटीकता की पुष्टि करता हूं और
इस दस्तावेज़ की प्रामाणिकता

2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 16882 [8]

19. दिनांक 9.4.2010 का नोट ओएसडी/सीएम द्वारा हस्ताक्षरित है, जो है
नीचे दिए गए निष्कर्ष से पता चलता है कि मुख्यमंत्री की इच्छा है कि प्रतिवादी नंबर 4 को पीएचसी सतनाली (मोहिंदरगढ़) से सीएचसी, कलानौर (रोहतक) में स्थानांतरित किया जाए:

"सीएम ने इच्छा जताई है कि श्री अजीत सिंह, बीएलके। एक्सटेंशन एजुकेटर, स्वास्थ्य विभाग, पीएचसी सतनाली (मोहिंदरगढ़) को वर्तमान पदधारी के खिलाफ सीएचसी कलानौर (रोहतक) में स्थानांतरित किया जा सकता है।"

20. इसके अनुसरण में, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ हरियाणा, पंचकुला द्वारा 26.4.2010 को स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय से दिनांक 6.8.2010 का एक और नोट है जिसमें सुझाव दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 को उसके वर्तमान पोस्टिंग स्थान से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, जिसे नीचे भी निकाला गया है:

"सीएम ने इच्छा जताई है कि श्री अजीत सिंह, बीएलके। एक्सटेंशन एजुकेटर, स्वास्थ्य विभाग, सीएचसी कलानौर को उनके पोस्टिंग स्थान से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।"

21. जैसा कि ऊपर देखा गया है, तथ्यों से यह स्थापित होता है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन में नकली पाया गया। दूसरा अनुभव प्रमाणपत्र, जो सत्यापन में वास्तविक पाया गया था, न तो आवेदन के साथ संलग्न किया गया था और न ही इसके लिए कोई अवसर था, इस कारण से कि दो प्रमाणपत्रों में अनुभव की अवधि ओवरलैप हो रही थी और आगे ऐसा कोई नहीं था आवश्यकता, इसलिए, प्रतिवादी संख्या 4 की उम्मीदवारी, वास्तव में, खारिज करने योग्य है।

22. जहां तक उत्तरदाता संख्या 5 का सवाल है, प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से न तो कोई जवाब दाखिल किया गया है और न ही उसकी ओर से कोई उपस्थित हुआ है।

23. दिनांक 19.6.2008 के संचार के माध्यम से सिविल सर्जन, सोनीपत द्वारा सत्यापन करने पर, उसके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, क्योंकि जिस संस्थान में उसने काम करने का दावा किया था, उसके पास कोई सहायक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। फिर भी उन्हें नियुक्ति की पेशकश की गई.

24. प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर, जांच अधिकारी द्वारा नोट किया गया है "अनुभव नहीं है।" मनोज कुमार 2015.01.28 17:44 के कॉलम नंबर 12 में मैं इस दस्तावेज़ सीडब्ल्यूपी नंबर 16882 2009 [9] आवेदन की सटीकता और प्रामाणिकता की पुष्टि करता हूं, निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की गई थी:

"12. अनुभव: वर्ष [04] महीने [04] दिन [17] संगठन का नाम - सोनीपत चेरिटेबल आई कुल वेतन: रु. 5000/-"

25. आयोग द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को संबोधित दिनांक 31.10.2007 का एक संचार रिकॉर्ड पर है जिसमें उसके आवेदन को अस्वीकार करने के लिए अनुभव की शर्त को पूरा न करने का कारण बताया गया है। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से आयोग के सचिव को एक अदिनांकित अनुरोध पत्र रिकॉर्ड में है, जिसमें रोल नंबर जारी करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उसने विज्ञापन संख्या 9/2007 के अनुसरण में एक आवेदन जमा किया था। उस आवेदन पर किसी अधिकारी द्वारा दिनांक 15.11.2007 का नोट लगा दिया गया है कि "आवेदक ने आपत्ति दूर कर ली है, अत: पात्र है।" फ़ाइल में केवल सोनीपत चेरिटेबल आई हॉस्पिटल का अदिनांकित अनुभव प्रमाणपत्र है, जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लेखित था। प्रमाण पत्र से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी संख्या 5 ने अस्पताल में कितनी अवधि तक काम किया होगा। संचार दिनांक 19.6.2008 के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया क्योंकि इसकी पुष्टि करने वाले प्राधिकारी ने पाया कि यद्यपि उसका नाम उपस्थिति रजिस्टर में उल्लेखित था, लेकिन इसे किसी के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। न तो कोई बहीखाता रखा गया था और न ही आयकर रिटर्न दाखिल किया जा रहा था। फिर भी, दिनांक 31.7.2008 के पत्र के माध्यम से, प्रतिवादी संख्या 5 को परिवार कल्याण विस्तार शिक्षक के रूप में नियुक्ति की पेशकश की गई और परिणामस्वरूप वह इस तरह सेवा में शामिल हो गई। फ़ाइल में, मुख्यमंत्री कार्यालय से दिनांक 18.8.2009 का एक नोट है जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 5 को रिक्ति के विरुद्ध सीएचसी, बल्ला (करनाल) से सीएचसी, जुआन (सोनीपत) में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे नीचे दिया गया है:

"मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई है कि श्रीमती अनीता कुमारी, स्वास्थ्य शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग, सीएचसी बल्ला (करनाल) को रिक्ति के विरुद्ध सीएचसी जुआन (सोनीपत) में स्थानांतरित किया जा सकता है।"

26. मुख्यमंत्री कार्यालय से दिनांक 20.8.2009 का एक और नोट है जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 5 को श्रीमान के स्थान पर सीएचसी बल्लाह (करनाल) से सीएचसी, जौन (सोनीपत) में स्थानांतरित किया जा सकता है। जितेंद्र सिंह और उपाध्यक्ष मनोज कुमार 2015.01.28 17:44 मैं इस दस्तावेज़ सीडब्ल्यूपी नंबर 16882 2009 [10] की सटीकता और प्रामाणिकता की पुष्टि करता हूं, जो नीचे दिया गया है:

"मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई है कि श्रीमती अनीता कुमारी, परिवार कल्याण विस्तार अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, सीएचसी बल्लाह (करनाल) को श्री जितेंद्र सिंह के स्थान पर और उनके स्थान पर सीएचसी जौन (सोनीपत) में स्थानांतरित किया जा सकता है।"

27. प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर संवीक्षा अधिकारी द्वारा एक नोट है कि "बिना वेतन के अनुभव अस्वीकार किया जा सकता है"। आवेदन के कॉलम नंबर 12 में निम्नलिखित जानकारी दी गई थी:

"12. अनुभव: वर्ष [2] महीने [1] दिन [-] संगठन का नाम - डॉ. ए.वी. बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट कुल वेतन: स्वैच्छिक"

28. फ़ाइल में डबल एस. यूथ क्लब (पंजीकृत), दिल्ली से दिनांक 10.8.2007 का एक और अनुभव प्रमाण पत्र था, जिसमें दिखाया गया था कि प्रतिवादी नंबर 6 ने 10.2.2005 से 10.2.2005 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में सामुदायिक शिक्षा के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में क्लब के साथ काम किया था। 31.3.2007 को `1,500/- मासिक मानदेय पर। उक्त प्रमाणपत्र को सत्यापन के लिए भेजा गया था. दिनांक 19.6.2008 को महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, पंचकुला को संबोधित संचार के माध्यम से सिविल सर्जन, सोनीपत की रिपोर्ट के अनुसार, उपरोक्त प्रमाण पत्र नकली पाया गया, क्योंकि यह पाया गया कि क्लब द्वारा न तो कोई खाता-बही बनाए रखा गया था और न ही आयकर रिटर्न दाखिल किया जा रहा था और प्रमाण पत्र से संबंधित क्लब के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, हालांकि प्रमाण पत्र में सीरियल नंबर था। सिविल सर्जन, सोनीपत की इस सत्यापन रिपोर्ट के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 6 को 6.8.2008 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया और वह 9.8.2008 को अपनी सेवा में शामिल हो गया। उन्हें पीएचसी, लाडवा (कुरुक्षेत्र) में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया।

29. यदि सत्ता के गलियारों तक उनकी पहुंच के आलोक में विचार किया जाए तो प्रतिवादी संख्या 6 का मामला भी उत्तरदाता संख्या 4 और 5 के समान है। मुख्यमंत्री कार्यालय से दिनांक 17.5.2013 का एक नोट है जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 6 को सीएचसी, पिहोवा (कुरुक्षेत्र) से सीएचसी, मुडलाना (सोनीपत) में स्थानांतरित किया जाए। डॉ. अरविंद शर्मा, सांसद (लोकसभा), करनाल की ओर से महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा हरियाणा को दिनांक 5.7.2013 को एक पत्र है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 को सीएचसी, पिहोवा से तैनात करने के लिए कहा गया है। मनोज कुमार 2015.01.28 17:44 मैं प्रमाणित करता हूं इस दस्तावेज़ की सटीकता और प्रामाणिकता के लिए 2009 के सीडब्ल्यूपी नंबर 16882 [11] (कुरुक्षेत्र) से 60 दिनों के लिए सीएचसी, फिरोजपुर बांगर (सोनीपत)। आदेश का अनुपालन दिनांक 10/15.7.2013 को किया गया। जयवीर सिंह, सीपीएस, हरियाणा सरकार की ओर से महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा हरियाणा को दिनांक 27.9.2013 को एक और नोट है कि सीएचसी, पेहोवा, जिला कुरुक्षेत्र में कार्यरत प्रतिवादी संख्या 6 को सीएचसी, फिरोजपुर बांगर, जिला सोनीपत में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। कुछ कर्मचारियों के संबंध में अधिकारियों द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कारण, मामला फिर से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया और मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 6 को सीएचसी, पिहोवा से सीएचसी, निसिंग (करनाल) में स्थानांतरित कर दिया गया।), जैसा कि दिनांक 14.11.2013 के कार्यालय नोट से स्पष्ट है। स्थानांतरण आदेश दिनांक 18.11.2013 है। फ़ाइल में उपरोक्त नोटिंग के समर्थन में उपलब्ध मुख्यमंत्री कार्यालय का नोट दिनांक 22.10.2013 नीचे दिया गया है:

"विषय: ब्लैक एक्सटेंशन एजुकेटर के स्थानांतरण के संबंध में।

...

माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है. उनकी इच्छा है कि डॉ. त्रिलोक चंद, बीईई को रिक्ति के विरुद्ध सीएचसी पिहोवा (कुरुक्षेत्र) से सीएचसी निसिंग (करनाल) में स्थानांतरित किया जाए।"

30. प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान वकील का तर्क कि प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र को महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा हरियाणा, पंचकुला के एक संचार पर चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी, पेहोवा द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया था, केवल ध्यान देने योग्य है और इस कारण से खारिज कर दिया गया कि इससे पहले, दिनांक 19.6.2008 के संचार के माध्यम से, सिविल सर्जन, सोनीपत ने प्रतिवादी संख्या 6 के अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन किया था और राय दी थी कि यह फर्जी था। वह रिपोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 6 को नियुक्ति की पेशकश करने का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए, चिकित्सा अधिकारी द्वारा बाद में सत्यापन या हलफनामा अर्थहीन है।

कानूनी पहलू

31. झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा में प्रवेश से संबंधित मुद्दा भारत संघ बनाम दत्तात्रेय और अन्य, (2008) 4 एससीसी 612 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया, जिसमें, पहले के निर्णयों का जिक्र करते हुए बैंक ऑफ इंडिया बनाम अविनाश डी. मांडीविकर, (2005) 7 एससीसी 690 और अतिरिक्त मामले में। जीएम-मानव संसाधन, भारत मनोज कुमार 2015.01.28 17:44 मैं इस दस्तावेज़ की सटीकता और प्रामाणिकता की पुष्टि करता हूं 2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 16882 [12] हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम सुरेश रामकृष्ण बर्डे, (2007) 5 एससीसी 336, यह राय दी गई कि जब कोई व्यक्ति जाति के संबंध में गलत दावा करके रोजगार सुरक्षित करता है, तो वह अनुसूचित जाति/जनजाति के वैध उम्मीदवार को रोजगार से वंचित कर देता है। ऐसी स्थिति में, गलत प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त रोजगार को रद्द करना ही उचित कदम है, ताकि पद उस उम्मीदवार से भरा जा सके, जो इसका हकदार है।

32. इसके बाद, यह मुद्दा क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम मधुलिका गुरुप्रसाद दाहिर और अन्य, (2008) 13 एससीसी 170 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया गया। , माननीय सर्वोच्च न्यायालय की राय थी कि जब किसी कर्मचारी का चयन धोखे से किया गया हो तो उसे न्यायसंगत विचार से बचाया नहीं जा सकता। ऐसे मामलों में प्रमाणपत्र के सत्यापन में देरी भी घातक नहीं है और इससे प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा और परिणामस्वरूप अवैध नियुक्ति होगी। उस मामले में, कर्मचारी ने 20 वर्षों की अवधि के लिए नकली जाति प्रमाण पत्र पर काम किया था, लेकिन फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सहानुभूति, समानता या उदारता का कोई स्थान नहीं है जहां मूल नियुक्ति नकली प्रमाण पत्र पर

आधारित है, क्योंकि एक वास्तविक उम्मीदवार को नियुक्ति से वंचित करने का यही परिणाम होता है। पैराग्राफ 15, 16, 18 से 20 नीचे निकाले गए हैं:

"15. किसी चीज़ को हासिल करने के इरादे से जानबूझकर किया गया धोखा, जो अन्यथा देय नहीं है, धोखाधड़ी के समान है। धोखाधड़ी या तो पत्र या शब्दों के माध्यम से किया गया आचरण है, जो दूसरे व्यक्ति या प्राधिकारी को एक निश्चित निर्णायक रुख अपनाने के लिए प्रेरित करता है। पूर्व के आचरण पर शब्दों या पत्र द्वारा प्रतिक्रिया। (देखें आर. विश्वनाथ पिल्लई बनाम केरल राज्य, (2004) 2 एससीसी 105, बैंक ऑफ इंडिया बनाम अविनाश डी. मांडीविकर, (2005) 7 एससीसी 690, बीएचईएल बनाम सुरेश रामकृष्ण बर्डे, (2007) 5 एससीसी 336, डेरी बनाम पीक, (1889) 14 एसी 337; राम प्रीति यादव बनाम यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, (2003) 8 एससीसी 311 और भाऊराव दगडू पारलकर बनाम .महाराष्ट्र राज्य, (2005) 7 एससीसी 605।
16. राम चंद्र सिंह बनाम सावित्री देवी, (2003) 8 एससीसी 319 में, इस अदालत ने कहा था कि धोखाधड़ी सभी न्यायसंगत लोगों के लिए अभिशाप है। मनोज कुमार 2015.01.28 17:44 मैं इस दस्तावेज़ सीडब्ल्यूपी नंबर की सटीकता और प्रामाणिकता की पुष्टि करता हूं। 2009 का 16882 [13] सिद्धांतों और धोखाधड़ी से जुड़े किसी भी मामले को किसी भी न्यायसंगत सिद्धांत के आवेदन द्वारा कायम या बचाया नहीं जा सकता है।

17. xx xx xx

18. उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में मामले पर विचार करने के बाद, हमारे निर्णय में, उच्च न्यायालय का निर्णय अस्थिर है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कर्मचारी ने जांच समिति के निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया है, यह मानते हुए कि कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र गलत था, उसकी नियुक्ति की नींव ही गायब हो गई और उसकी नियुक्ति अवैध हो गई। उसका आचरण उसे सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य बनाता है और अनिवार्य रूप से उसकी सेवा समाप्त की जानी चाहिए। इन परिस्थितियों में, केवल इस आधार पर पद के संबंध में उसके दावे का कोई औचित्य नहीं है कि उसने इस पद पर बीस वर्षों से अधिक समय तक काम किया है। यह पद एक आरक्षित उम्मीदवार के लिए था लेकिन उसने गलत बयानी और धोखे से इसे हड़प लिया। हमारी राय में, यह तथ्य कि सेवा में शामिल होने के दस साल बाद जाति प्रमाण पत्र को सत्यापन के लिए जांच समिति को भेजा गया था और जांच समिति द्वारा इसे सत्यापित करने में लंबा समय लगा, दोनों मामलों में देरी के कारण कोई परिणाम नहीं है। जाति प्रमाण पत्र और परिणामी अवैध नियुक्ति को मान्य नहीं करता है।

19. हम कर्मचारी के विद्वान वकील से सहमत होने के लिए खुद को मनाने में भी असमर्थ हैं कि कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी के किसी भी निष्कर्ष के अभाव में, उच्च न्यायालय का आदेश

न्यायसंगत है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कर्मचारी का चयन धोखे से किया गया था और इसलिए, न्यायसंगत विचारों से बचाया नहीं जा सका।

20. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के आदेश को रद्द करने और उसकी बहाली का निर्देश देने वाला आक्षेपित निर्णय और आदेश मनोज कुमार नहीं हो सकता है 2015.01.28 17:44 मैं इस दस्तावेज़ की सटीकता और प्रामाणिकता को सत्यापित करता हूं सीडब्ल्यूपी नंबर 2009 का 16882 [14] कायम रहा। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्तगी के आदेश में कोई खामी नहीं है और उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।"

33. मौजूदा मामले में, रिकॉर्ड से, यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया है कि अनुभव से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र, जो आवश्यक योग्यताओं में से एक था, सत्यापन पर नकली पाए गए, लेकिन फिर भी उत्तरदाता संख्या 4 से 6 थे। नियुक्ति दी गई. इसके परिणामस्वरूप अन्य योग्य उम्मीदवार अधिक मेधावी होते हुए भी रोजगार पाने के अवसर से वंचित हो गए। भले ही उत्तरदाता संख्या 4 से 6 अब चार साल से सेवा कर रहे हों, ऐसे मामलों में इक्विटी खेल में नहीं आती है क्योंकि उनकी नियुक्ति की नींव ही गायब हो गई है। गलतबयानी और धोखे से पद हड़प लिया गया। यह धोखाधड़ी थी.

34. उपर्युक्त कारणों से उत्तरदाताओं क्रमांक 4 से 6 का चयन एवं नियुक्ति रद्द की जाती है, पद के लिए पात्र नहीं होने तथा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर फर्जी तरीके से रोजगार प्राप्त करने के कारण। जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 2 पर था, यदि यह सही पाया जाता है, तो उसे प्रतिवादी संख्या 4 की पेशकश और सेवा में शामिल होने की तारीख से नियुक्ति की पेशकश की जाएगी। याचिकाकर्ता को उस तिथि से काल्पनिक लाभ दिया जाए लेकिन जिस अवधि में उसने काम नहीं किया उस अवधि के लिए वह किसी भी मौद्रिक लाभ का हकदार नहीं होगा।

35. याचिका का निपटारा किया जाता है।

(राजेश बिंदल) जज 15.1.2015 एमके (रिपोर्टर देखें) मनोज कुमार 2015.01.28 17:44 मैं इस दस्तावेज़ की सटीकता और प्रामाणिकता की पुष्टि करता हूं

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा